न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : विक्रम सिंह, आर.एच.जे.एस.

सिविल विविध (H.M.Act) प्रकरण संख्या : 33 सन् 2019 (InCIS.33/2019)

अभिषेक पुत्र सुरेशचन्द्र भाटिया, उम्र 36 वर्ष, निवासी तेलियों का तालाब, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।

——प्रार्थी

विरूद्ध

श्रीमती चांदनी उर्फ सोनाक्षी पत्नि अभिषेक भाटिया, उम्र 31 वर्ष पुत्री विनोद भाटिया, निवासी नवा नरोडा, अहमदाबाद (गुजरात), हाल निवासी तेलियों का तालाब नाथद्वारा।

—— अप्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1956

उपस्थित :—

1. श्री गिरीश तिवारी — अधिवक्ता प्रार्थी ।
2. अप्रार्थीया के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही ।

नि र्ण य दिनांक : 27.05.2019

1. प्रार्थी पति द्वारा अपनी पत्नी अप्रार्थिया के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र विवाह विच्छेद की डिक्री के अनुतोष के लिए दिनांक 11.03.2019 को पेश किया गया है।

2. प्रार्थना पत्र में उल्लेखित प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की शादी अप्रार्थीया के साथ दिनांक 11.07.2008 को हिन्दू पद्धति से सम्पन्न हुई थी । उनके संपर्क से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम सुश्री कश्यपी होकर उसकी उम्र 8 वर्ष है। प्रार्थी का स्वयं का कोई मकान नहीं होने से माता पिता के मकान में उनके साथ निवास करता है जो कि प्रार्थी के पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति है। अप्रार्थीया द्वारा विवाह के कुछ माह पश्चात् ही प्रार्थी व उसके माता पिता को परेशान करना प्रारम्भ कर दिया एवं गृह कार्य करने से सर्वथा इन्कार कर दिया तथा कभी किसी कार्य के कहने पर आत्महत्या की धमकियां देने लगती है। प्रार्थी की आय का अधिकांश हिस्सा अप्रार्थिया ब्यूटी पार्लर, स्मार्ट फोन व ऑन लाइन कपड़े एवं अन्य वस्तुएं क्रय कर फिजूल खर्ची में व्यय कर देती है जिससे परिवार का भरण पोषण करने में भी कठिनाई उत्पन्न हो रही

है। अप्रार्थिया प्रार्थी व उसके माता पिता से झगड़ा करके प्रायः सिंहाड़ स्थित हनुमान मन्दिर जाकर या श्रीनाथजी मन्दिर के बाहर बैठ जाती है तथा अन्य व्यक्तियों के सामने लाचारी प्रकट कर उनसे फोन करती है कि इसे ले जाओ। अप्रार्थिया देर रात्रि तक क्लेश करते हुए घर से बाहर चीखना चिल्लाना प्रारम्भ कर देती है। प्रार्थी के माता पिता दीपावली के पश्चात् कुछ समय छोटे पुत्र के यहां बाड़मेर प्रवास पर थे, उस दौरान अप्रार्थिया ने मौके का फायदा उठाकर घर में कमरे/पेटी को नकली चाबी से खोलकर असली पुश्तैनी आभूषण निकालकर उनके स्थान पर नकली जेवर रखकर असली जेवरों को विक्रय/रहन रख दिये जिससे प्रार्थी पर बाजार में भारी कर्जा हो गया है। अप्रार्थिया अब शेष जेवरों तथा नकद राशि की मांगी करती रहती है। प्रार्थी के साथ शादी समारोह में जाने पर भी अप्रार्थिया सभी के सामने किसी न किसी बहाने क्लेश करती है तथा प्रार्थी को अपने माता पिता से पृथक् रहने का दबाव बनाती है तथा मकान अपने नाम करने को कहती है। अप्रार्थीया के क्रूर स्वभाव के कारण प्रार्थी को विवाह विच्छेद का निर्णय लेना पड़ा। पक्षकारों के मध्य कोई दुरभिसंधि नहीं है। अंत में विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करने का निवेदन किया ।

3. तामील हो जाने के बावजूद अप्रार्थीया की ओर से न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी गई जिस पर दिनांक 08.04.2019 को उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

4. प्रार्थी द्वारा एकपक्षीय साक्ष्य में ए डब्ल्यू–1 अभिषेक स्वयं प्रार्थी, ए.डब्ल्यू. 2 सीतादेवी व ए.डब्ल्यू. 3 गिरिराज का शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा विवाह का फोटो प्रदर्श–1 प्रदर्शित करवाया गया ।

5. एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

6. प्रार्थी की ओर से एकपक्षीय साक्ष्य में ए डब्ल्यू–1 अभिषेक स्वयं प्रार्थी ने अपने सशपथ कथनों में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए स्वयं का विवाह अप्रार्थीया के साथ दिनांक 11.07.2008 को हिन्दू पद्धति से होने, उनके संपर्क से एक पुत्री सुश्री कश्यपी वर्तमान उम्र 8 वर्ष होने, अप्रार्थीया द्वारा विवाह के कुछ माह पश्चात् ही प्रार्थी व उसके माता पिता को परेशान करना प्रारम्भ करने एवं गृह कार्य करने से सर्वथा इन्कार करने तथा आत्महत्या की धमकियां

देने, अप्रार्थिया द्वारा बेवजह फिजूल खर्ची करने जिससे परिवार का भरण पोषण करने में भी कठिनाई होने, अप्रार्थिया द्वारा देर रात्रि तक क्लेश करते हुए घर से बाहर चीखने चिल्लाने जिससे पड़ोसियों को भी परेशानी होने, प्रार्थी के माता पिता के छोटे पुत्र के यहां बाड़मेर प्रवास के दौरान अप्रार्थिया द्वारा घर में कमरे/पेटी को नकली चाबी से खोलकर असली पुश्तैनी आभूषण निकालकर उनके स्थान पर नकली जेवर रखकर असली जेवरों को विक्रय/रहन रखने तथा अब शेष जेवरों तथा नकद राशि की मांग करते रहने, प्रार्थी के साथ शादी समारोह में जाने पर भी सभी के सामने किसी न किसी बहाने क्लेश करने तथा तथा प्रार्थी को अपने माता पिता से पृथक् रहने का दबाव बनाने तथा मकान अपने नाम करने की कहने तथा अप्रार्थीया के क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण प्रार्थी का उसके साथ रहना सम्भव नहीं होने की साक्ष्य दी है। दस्तावेजी साक्ष्य में विवाह का फोटो प्रदर्श–1 प्रदर्शित करवाया गया।

7. साक्ष्य प्रार्थी में गवाह ए.डब्ल्यू. 2 सीता देवी व ए.डब्ल्यू. 3 गिरिराज जो कि प्रार्थी के पड़ोसी हैं, ने भी अपने सशपथ कथनों में प्रार्थी ए.डब्ल्यू. 1 के कथनों की ताईद करते हुए प्रार्थी का विवाह अप्रार्थिया के साथ दिनांक 11.07.2008 को हिन्दू रीतिरिवाज से होने, अप्रार्थिया द्वारा अपने पति व सास–ससुर एवं पुत्री के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने, फिजूखर्ची करने, पड़ोसियों द्वारा समझाने पर भी नहीं मानने की साक्ष्य दी है।

8. अप्रार्थीया के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश है तथा उसकी ओर से न तो प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया गया है एवं न ही उक्त साक्षीगण से कोई प्रतिपरीक्षा हो सकी है। इस प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य का किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं हो पाया है जिससे उपरोक्त साक्ष्य पर अविश्वास करने का न्यायालय के समक्ष कोई कारण विद्यमान नहीं है। अतः प्रार्थी पक्ष की अखंडित साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य साबित पाया जाता है कि अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थी के साथ पिछले करीब 10 वर्ष से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है एवं दोनों का अब साथ रह पाना सम्भव नहीं रहा है ।

9. परिणामतः प्रार्थी अपना मामला साबित कर पाने में सफल रहा है । अतः उसके पक्ष में विवाह विच्छेद की एकपक्षीय डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

10. प्रार्थी अभिषेक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीया श्रीमती चांदनी उर्फ सोनाक्षी एकपक्षीय स्वीकार किया जाकर दोनों पक्षों के मध्य सम्पन्न हुए विवाह दिनांक 11.07.2008 के विच्छेद की डिक्री पारित की जाती है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीया के मध्य सम्पादित विवाह को विघटित किया जाता है । डिक्री बनाई जावे ।

(विक्रम सिंह)

11. निर्णय आज दिनांक 27.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विक्रम सिंह)